



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पद्म तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc.lko-mef@gov.in, m_env@rediffmail.com

File No. 8B/Raj/06/29/2020/FC/765

Date: 28.07.2020

सेवा में,

शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन,
जयपुर, राजस्थान।

(Online Proposal No: FP/RJ/Road/41036/2019)

विषय: Diversion of 11.8259 ha. of forest land in favour of National Highways Authority of India, Bikaner for upgradation to 2 lane with paved shoulder/ 4 lane of Khajuwal-Poogal Section (Design Chainage 0+000 to 30+812) and Poogal-Dantour-Jaggasar-Gokul-Goddu—Ranjeetpura-Charanwala-Naukh under Bharatmala Pariyojana.

सन्दर्भ: शासन सचिव(वन), जयपुर का पत्रांक-प.1(53)वन/2020, जयपुर, दिनांक 02.07.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन [संरक्षण] अधिनियम, 1980 की धारा(2) के तहत स्वीकृति माँगी गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण दिनांक 28.07.2020 (Agenda Item 48.13) को आहूत क्षेत्रीय सशक्त समिति के समक्ष रखा गया। क्षेत्रीय सशक्त समिति के निर्णय अनुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी की आवश्यकता है:-

- 1- Documentary proof for existence of road prior to 1980 and calculation of penal NPV has to be submitted.
- 2- Scheme for road side plantation as per IRC norms has to be provided. Perusal of cross sections at the most of the places shows that a width of 3m is available on either side of the road for plantation.
- 3- Muck disposal scheme, approved by concerned DFO needs to be submitted.

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में उपरोक्त बिन्दुओं पर चाही गयी जानकारी यथाशीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, छतरगढ़ वन मण्डल, छतरगढ़, बीकानेर, राजस्थान।
3. उप वन संरक्षक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज-II, बीकानेर, राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0), पी0आई0यू0, सी-38, सादुलगंज, बीकानेर-334002, राजस्थान।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)